18/25 पत्रावली पेश। वकील वादी व वादी को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ (सीकर)